in this House during the week commencing 2nd September, 1963, will consist of:—

(1) Discussion on the Tenth and Eleventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1960-61 and 1961-62 on a motion to be moved by the Deputy Minister of Home Affairs.

(2) Further consideration and passing of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 1963.

(3) Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:—

The Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Bill, 1963.

The East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Delhi Amendment) Bill, 1962.

(4) Consideration of a motion for reference of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1963 to a Joint Committee.

(5) Consideration and passing of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha Bill, 1963, as passed by Rajya Sabha.

(6) Discussion on the Annual Reports of the Indian Council for Cultural Relations for the years 1959-60, 1960-61 and 1961-62 on a motion to be moved by H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo on Wednesday, the 4th September, at 3 P.M.

(7) Discussion on the Annual Report of the Life Insurance Corporation of India for the year ended 31st December, 1961, on a motion to be moved by Dr. L. M. Singhvi on Thursday, the 5th September.

(8) Discussion on abnormal rise in prices of food-grains and the food policy of the Government of India on motions to be moved by Sarvashri S. M. Banerjee and Yashpal Singh on Thursday, the 5th September.

(9) Discussion on the distribution of national income to be raised by Dr. Ram Manohar Lohia on Friday, the 6th September after disposal of questions.

12.50 hrs

RE: TIMINGS OF LOK SABHA

Mr. Speaker: Dr. Lohia has written to me that he wants to raise some point regarding the sitting of the House and its timing. He may do so now.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के समय के बारे में कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं। लोक सभा का समय या तो सुबह ८ बजे से १२ बजे तक और साथ साथ ४ बजे से ७ या ८ बजे तक, नहीं तो ८ बजे से २ बजे तक और नहीं तो ४ या ५ बजे से ११ या १२ बज तक हुआ करे। तीन सम्भावनायें मैंने बताई हैं और इन तीनों सम्भावनाओं में एक बात है कि दोपहर को लोक सभा न हुआ करे। उस के लिए मेरा कारण है कि हिन्दुस्तान की जलवायु दोपहर की लोक सभा के अनुकूल नहीं है। हम जो अपने समय के मामले में यूरोप वालों की नकल कर लिया करते हैं, जो कि हमारी जल वायु के अनुकूल नहीं है, उस की मैं आप को एक और मिसाल दिये देता हूं। ११ बजे के समय यूरोप वाले अपना युद्ध विराम मनाया करते हैं। उस को देखते हुए हम ने भी अपने यहां शहीद दिवस ११ बजे मनाना शुरू कर दिया। मैं यह मानता हूं कि यूरोप की अच्छे मामलों में समझ कर के नक्ल करना ठीक है, लेकिन जहां हमें अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां नक्ल ठीक नहीं है, ख़ास तौर से लोक सभा में, जहां पर कर्तव्य बड़ी गम्भीरता से चलता है और राग भी बहुत होता है।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

जिस में असीम आनन्द और असीम तक्लीफ़ हो, अगर ऐसी बैठक दोपहर के वक्त हो जाया करती है, तो उस के नतीजे कुछ खराब निकला करते हैं।

इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अगर केवल शाम के वक्त ही लोक सभा सब विषयों पर विचार करें, तो ठीक होगा। मान लिया कि सुबह न रहे, तो केवल शाम—४ या ५ बजे से ले कर ११ या १२ बजे तक। अगर आप इजाजत दें, तो आप ने जो तर्क मुझे बताया था, वह यहां पर सदन को बताऊं।—खैर, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी राय बताता हूं कि जिन सदस्यों को शाम की लोक सभा पसन्द नहीं है, वे सदस्य आम तौर से ताश वगैरह ज्यादा पसन्द किया करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर लोक सभा ठीक तरह से चले, तो शाम की लोक सभा बड़ी मजेदार हो सकती है। इस समय श्री मोरारजी देससाई यहां नहीं हैं। होते, तो मैं आप के जरियों से उन से एक सवाल पूछता कि क्या उन्होंने चान्दनी में कोई चेहरे देखे हैं। (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

डा० राम मनोहर लोहिया : यूं जो लगते हैं उस से ज्यादा अच्छ लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस सवाल की हद्द में रहें।

डा० राम मनोहर लोहिया : खैर, उस को छोड़ दीजिए। मैं उस तर्क को छोड़ देता हूं, हालांकि मुझ पर एक जबदस्त लांछन लगाया गया है। मुझे उस से कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने बता दिया है कि वह तीन समय तजवीज करते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : उस के अलावा जो समय मैंने बताया है, उस में उस समय से एक या दो घंटे ज्यादा होते हैं, जो कि आम तौर से अब मिलता है। वह इस लिए जरूरी है कि जब कभी प्रश्नोत्तर का सवाल उठा, तो आप ने अंग्रेजी की बात बताई कि वे एक घंटे में बीस सवाल पूछ लिया करते हैं। हमारी मुसीबत यह है कि हम एक ऐसी जुबान में सवाल-जवाब करते हैं, जो मंत्रियों को भी नहीं मालूम और हमें भी नहीं मालूम। इस लिए जरूरी हो गया कि या तो मंत्रियों के लिए अंग्रेजी सिखाने का स्कूल खोला जाय,...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य दूसरी बहुत सी चीजों में जा रहे हैं। मैंने उन सब को उठाने के लिए यह मौका नहीं दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वह तीन समय चाहते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : तीन में से कोई एक।

अध्यक्ष महोदय : तो वह अब मेरी अर्ज सुन लें। अगर वह बैठें, तो मैं कहूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप इजाजत दें, तो मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाता हूं, नहीं तो, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कहिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : जैसा कि मैंने कहा है, लोक सभा में एक तरफ गम्भीर कर्तव्य है और दूसरी तरफ़ एक असीम राग है—तक्लीफ़ और आनन्द दोनों हैं। इस लिए लोक सभा की बैठकों से आदमी वैसे नहीं थका करता, जैसे समझिए पैसा कमाने से या किसी और काम से। तो यह हो सकता है कि और समय में तो लोग अपना धंधा चलाते रहें, मंत्री अपना काम करें और हम लोग जनता या मजदूरों का संगठन करें, वे सब काम चलाते रहें और शाम और रात के वक्त लोक सभा में गम्भीरता के साथ और आनन्द

के साथ अपने सब विषयों पर विचार करते रहें जिस से समय भी रहेगा और काम भी अच्छी तरह से हो जायगा और हम लोग आसानी से आठ घंटे अपने धंधे और चार, पांच, छः घंटे यह सब काम करते रहेंगे। तो यह तर्क मैं आपके सामने रखता हूं।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यानारायण सिंह) : श्रीमन्, आप को मालूम ही होगा कि इस हाउस में यह शाम वाली बात तो नहीं, लेकिन दिन वाली बात का कई दफ़ा ट्रायल हुआ १९४७ से १९५४ तक। दो मर्तबा हुआ। मेरे पास रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय : शाम वाली तजवीज़ें तो आती रही हैं कामत साहब की तरफ़ से।

श्री सत्यनारायण सिंह : लेकिन उन पर कभी अमल नहीं हुआ। लेकिन जहां तक सुबह वाली तजवीज का प्रश्न है, १९४७–४८ में कभी साढ़े आठ बजे शुरू किया, कभी साढ़े नौ बजे शुरू किया एक बज तक और कभी पौने ग्यारह बजे शुरू किया। आखिर में १९५४ में आप से पहले श्री मावलंकर के सामने बिजिनेस एडवाइज़री कमेटी में यह बात पेश हुई, जिस में सब पार्टियों के सदस्य थे। वहां यह तय हुआ कि समय ११ बजे से ५ बजे तक ही हो **सबजक्ट टु दि डिस्क्रीशन आफ़ दि स्पीकर,** अर्थात यदि स्पीकर चाहे तो उस में चेंज करे। हाउस के रूल्ज में भी यही बात कहीं गई है।

Rule 12 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha states:

> "Sittings of the House shall, subject to the directions of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 hours."

अभी तक यही स्थिति रही है और १९५४ से अभी तक किसी को कोई ख़ास तक्लीफ़ नहीं हुई। माननीय सदस्य शायद यह समझते हैं कि इसमें सिर्फ मेम्बरों की सुविधा का ही सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट का काम चलाने के लिए सब मिनिस्ट्रीज, आफ़िसिज और क्लार्क्स वग़ैरह सब को हमारे मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। अगर समय बदलेगा, तो सिर्फ़ मेम्बर्ज के लिए ही नहीं जो कि मज़दूरों का संगठन या दूसरे काम करना चाहते हैं, बल्कि आफ़िसिज में काम करने वाले लोगों को भी आना पड़ेगा। उन की सारी स्थिति उलट जायगी। हां, यह आप के और इस हाउस के अख़्त्यार में है कि आप जो चाहें फैसला करें।

लेकिन ८ बज वाली बात सुन कर मैं कुछ हैरान हुआ। शायद माननीय सदस्य को मालूम है कि दिल्ली में तो जाड़े के महीनों में ७–४५ पर सूर्योदय होता है। इस लिए ८ बज तो और मुश्किल होगा। इस के अलावा यहां पर जाड़े की रात इलाहाबाद वग़ैरह से बहुत देर ठंडी होती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर ठंडी रहे, तो अच्छा ही है।

श्री सत्यनारायण सिंह : यहां पर जनवरी के महीने में निकलना मुश्किल हो जाता है। इस लिए इन सब बातों को देख कर इस बारे में फ़ैसला करना आप के और इस हाउस के अख़्त्यार में है। इस के लिए रूल्ज को बदलना होगा। आप जैसे चाहें कीजिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप इजाजत दें, तो मैं इस बारे में कुछ कहूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि इस में ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं है। मैं माननीय सदस्य की वाकफ़ियत के लिए यह कहना चाहता हूं कि जब वह मेरे पास आये, तो मैं ने जरा मज़ाक में कहा था कि आप और मैं न जाते हों किसी क्लब वग़ैरह में, लेकिन दूसरे आदमियों की अपनी अपनी एन्गेजमेंट होती हैं। किसी को क्लब में जाना होता है और किसी को कहीं और। इस में कोई हर्ज नहीं है जो आदमी पसन्द करते हैं, व जायें। लेकिन हम

[अध्यक्ष महोदय]

ने ये सब वक्त आजमा कर देखे हैं। हम ने सुबह ८ बजे, ९ बजे और १० बजे को भी आजमाया है और आखिर में यह हाउस इसी नतीजे पर पहुंचा है कि अगर ११ बजे का ही वक्त रखा जाये, तो ठीक है। यह किसी की नक्ल नहीं है और यूरोप के किसी मुल्क में ११ बजे हाउस शुरू नहीं होता है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : वहां ढाई बजे शुरू होता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो ढाई बजे की तजवीज करते हैं, अगर उस को मान लिया जाये, तो वह नक्ल करना होगा। अगर वह नक्ल से भागते हैं, तो वह य तजवीज न करें, क्योंकि व तो नक्ल हो जायगी। अगर हम ढाई बजे बाद दोपहर करेंगे, तो व नक्ल है। वे रात को बैठते हैं। जहां तक जल-वायु का ताल्लुक है, हकीकत यह है कि मारी क्लाईमेट में शाम को बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लिए बाहर की गर्मी से कुछ बचाव के लिए हम ने इस तर कर रखा है कि यहां कुछ अलाहदा वायु-मंडल रहे।

श्री बागड़ी (हिसार) : दोप र का समय तो टालना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर दस बजे करते हैं, तो बहुत से मेम्बर सा बान को एतराज होता है कि हम नहीं आ सकते। अगर हम ११ बजे शुरू करें, तो हम दोपहर को कैसे टाल सकते हैं? वह तो आयगी सिर पर और उस को बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री बागड़ी : दोपहर को तो किसान और मजदूर भी आराम करते हैं।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : आराम हराम है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने बहुत दफ़ा १० बजे भी कर के देखा है, ९ बज भी कर के देखा है। इस हाउस ने उस को आजमाया है, लेकिन वह चल नहीं सका है। रात वाली बात भी तजवीज की गई थी, लेकिन वह भी मन्जूर नहीं हुई। इस लिए अभी हम इस पर चलेंगे। वैसे यह हाउस की मर्जी है कि अगर किसी वक्त आबो-हवा, क्लाईमेट, की शिद्दत और सख्ती को देख कर वह समय को बदलना चाहे, तो वह उस का अपना अख्त्यार है। हम इस को देखते रहेंगे और अगर किसी वक्त जरूरत होगी, तो उस के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है।

---

13 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I wish to invite your attention to the Lok Sabha Bulletin which was issued on the 1st August, just a week or ten days before the sessilon opened. You will realise that the House will soon move inexorably into the fourth week of this week's session. Next week will be the fourth week. This is the third week and today is almost the mid-point of the session. The list of business according to this statement of the 1st August shows about 35 Bills—that statement too is not to be taken as exhaustive; that means, some other Bills may be introduced later on and taken up in addition to these Bills—and, in addition, other Government business, that is, non-legislative business. Now with the business that has been set forth today for next week, there is just one week left. The last week will be taken up, I believe, with the discussion of the international situation and planning. That will take all the five days, that is, three days for planning and two days for the other one.

Now, I revert to the topic which I used to raise in other sessions, that is, the defective planning of business. You are not at Fault; do not be impatient; he is getting impatient. Every